



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक-2765 / FP/UK/ROAD/140350/2021 देहरादून: दिनांक: 01 मई, 2023

सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक0)
कृते परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार),
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
बसन्त विहार, देहरादून।

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा के पास) दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.000 से किमी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-लीज-12-1047 / 12023-एफ3-फारेस्ट दिनांक 17-05-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कमियों के निराकरण के पश्चात् इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जिन्हें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है उन प्रस्तावों में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है :-

1. प्रस्तावित परियोजना हेतु वांछित भूमि का भूमिवार विवरण।
2. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या।
3. क्या प्रस्तावित परियोजना से कोई जल स्रोत प्रभावित हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र/सूचना उपलब्ध करायी जानी है।
4. प्रभावित होने वाले वृक्षों का व्यासवार/प्रजातिवार विवरण।
5. प्रस्तावित परियोजना की कुल लम्बाई एवं चौड़ाई का विवरण प्रस्तुत करें।
6. प्रस्तावित परियोजना के समरेखण के आस-पास वन्यजीव/वास स्थल का विवरण।
7. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु चिन्हित स्थलों का विवरण एवं विस्तृत मक डिस्पोजल योजना।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित सूचना/प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या : 2765 / FP/UK/ROAD/140350/2021 दिनांकित।

1- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित बिन्दुवार सूचना/प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

2- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

9/c